Publication: Jagruk Times **Edition:** Mumbai **Date:** 15th July, 2016

एफडीआई नीति में संशोधन और विदेशी निवेश खोलने का समय

» 10,000 करोड़ रुपए से अधिक विदेशी निवेश की तैयारी

मुंबई। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन (एआइजीएफ) ने औद्योगिक नीति एवं प्रचार विभाग (डीआइपीपी) द्वारा सात जून को जारी कंसोलिडेटेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी सर्कुलर (एफडीआई पॉलिसी) को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। साथ ही नागर विमानन, रक्षा, प्रसारण, खुदरा, फार्मास्युटिकल सहित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई को उदार बनाने के लिए एफडीआई नीति में किए गए हालिया बदलावों और कसीनोज आदि सहित गैम्बलिंग, बेटिंग और लॉटरी को लेकर एफडीआई नीति में कोई बदलाव नहीं करने के प्रति भी चिंता उठाई है। रोलेण्ड लैंडर्स, एआइजीएफके सीईओ ने कहा कि एफडीआई नीति में प्रतिबंधित सूची से गैम्बलिंग, बेटिंग और लॉटरी सेक्टर को हटाया जाना प्रत्येक के हित में है। चूंकि, भारत सभी क्षेत्रों में विदेशी निवेश का स्वागत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ऐसे में गेमिंग उद्योग अपवाद नहीं होना चाहिए।

गैम्बलिंग को रोकने का विटोरियन नजरिया आधुनिक सोच के अनुरूप नहीं है। उन्होंने बताया कि वितरकों के माध्यम से लॉटरीज की बिक्री नौ राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। इसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड जैसे कई पूर्वोत्तर राज्यों में बेचा जाता है। लॉटरी राज्यों से मिली रकम पूर्वोत्तर राज्यों के लिए फंड्स का प्राथमिक स्रोत है और इसका इस्तेमाल आधारभूत संरचना परियोजनाओं में किया जाता है। साथ ही कई महत्वपूर्ण सामाजिक योजनाओं में भी फंड का उपयोग होता है।